

क्रमांक/प्रशासन/2020/ 475

भोपाल, दिनांक 20/03/2020

परिपत्र

उपरोक्त विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संबंध में विश्वविद्यालय हेतु एडवायजरी जारी की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 5 मार्च 2020 द्वारा नोवल कोरोना वायरस (COVID 19) के संबंध में देश में पाये जा रहे संदिग्ध मरीजों एवं इसके प्रसार को रोकने हेतु प्रतिरोधात्मक दिशा निर्देश जारी करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में निम्नानुसार व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

1. परिसर में व्यापक समूह एकत्रीकरण से बचा जाए।
2. पिछले 28 दिनों में यदि किसी विद्यार्थी/स्टाफ ने COVID19 प्रभावित देश की यात्रा की हो, या किसी ऐसे व्यक्तियों के सम्पर्क में आया हो तो ऐसे व्यक्ति की निगरानी की जानी चाहिए एवं उसे 14 दिन तक घर में रहना सुनिश्चित किया जाये।
3. किसी भी विद्यार्थी को बुखार, कफ और श्वास लेने में तकलीफ के लक्षण दिखने पर फैंकल्टी को मुस्तैद रहना चाहिए एवं ऐसे विद्यार्थी की तुरंत आवश्यक जांच की जाये।
4. क्रमांक 3 पर उल्लेखित स्थिति पाये जाने पर चिकित्सक की सलाह के बिना ऐसे विद्यार्थियों को परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जाये।
5. फैंकल्टी, विद्यार्थियों एवं समस्त स्टाफ को हाथों की सफाई एवं श्वसन संबंधी सामान्य स्वास्थ्य मानदण्डों का पालन करने की सलाह दी जाती है जो निम्नानुसार है :-
 1. हाथों की सफाई :- लगातार हाथों को साबुन और पानी अथवा अल्कोहल युक्त हैंण्ड सेनेटाइजर से धोएं, भले ही हाथ साफ क्यों न दिख रहें हों।
 2. श्वसन संबंधी स्वच्छता :- (क) खांसते या छींकते समय सभी अपने मुंह को टिस्सू पेपर/रूमाल से ढंके और उसके बाद हाथ अच्छे से धोएं।
(ख) अपने आंख, नाक और मुंह को न छुएं।
(ग) सभी उपयोग किए टिस्सू को कूड़ेदान में बाहर फेंके एवं खांसने या छींकने पर अपने हाथ धोएं।
6. बार-बार छुए जाने वाली जगहें जैसे दरवाजे की कुडी, बिजली के बटन्स, डेस्कटाप्स, हैंण्ड रैलिंग्स को संक्रमण रहित किया जाना चाहिए।


7. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर जगह-जगह अल्कोहल युक्त हैण्ड क्लीनर/हैण्ड सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जाये ।
8. सभी रेस्ट रूम में साबुन और पानी की उपलब्धता सभी समय सुनिश्चित की जाये ।
9. सभी कक्षाओं एवं बाथरूमों में फुट आपरेटेड एवं प्लास्टिक बैग युक्त कूड़ेदानी रखी जाये ।
10. होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों एवं अधीनस्थ स्टाफ के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जानी चाहिए । कोई संदिग्ध प्रकरण पाए जाने पर स्थानीय चिकित्सा प्राधिकारी को परीक्षण के लिये बुलाया जाना चाहिए ।
11. किसी भी व्यक्ति में कफ,बुखार या सांस लेने में कठिनाई के लक्षण पाए जाने पर राज्य की हेल्पलाइन नम्बर पर अथवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की 24x7 हेल्पलाइन 011 2397846 पर अथवा स्थानीय लोक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र पर मास्क लगाकर पहुँच सकते हैं ।
यूजीसी के उपरोक्त निर्देशों के संबंध में विश्वविद्यालय में तदनुसार व्यवस्था हेतु आदेश/निर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित है ।

-sd-
(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
कुलसचिव

पृ.क्र./प्रशासन/2020/

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, कुलपति/निज सहायक कुलाधिसचिव ,कुलसचिव को सूचनार्थ ।
2. समस्त विभागाध्यक्षगण , समस्त शाखा प्रभारी एवं समस्त परिसर प्रभारियों की ओर सूचनार्थ ।
3. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाएं को सूचनार्थ ।
4. समस्त शिक्षक ,अधिकारी व कर्मचारीयो ओर सूचनार्थ ।
5. समस्त विद्यार्थीगण की ओर सूचनार्थ व सूचनापटल पर प्रकाशित ।
6. प्रभारी ,बेवसाईट को बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ ।


(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
कुलसचिव